**श्रमिकों का राष्ट्रीय सम्मेलन (ऑनलाइन)**

**गांधी जयंती दिवस, 2 अक्टूबर 2020**

**घोषणा**

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र फेडरशनों / असोसिएशनों द्वारा, 2 अक्टूबर 2020, गांधी जयंती दिवस पर, संयुक्त रूप से आयोजित यह राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका आयोजन, भौतिक सभाओं में बाधक स्थितियों के चलते पहली बार ऑनलाइन किया गया है, मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एवं भाजपा शासित राज्य सरकारों द्वारा देश के मजदूरों, किसानों और आम लोगों के बुनियादी लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों पर किए जा रहे हमलों की कड़ी निंदा करता है ।

भाजपा सरकार ने, ‘सभी को साथ लेकर चलने का’ , जो मुखौटा अपने पहले कार्यकाल (2014-19) में पहना था, 2019 के बाद से अपने दूसरे कार्यकाल में उतार कर फेंक दिया है। एक ऐसे वक़्त में जबकि मांग की कमी के चलते अर्थव्यवस्था सभी पैमानों पर काफी सुस्त हैं, सरकार ने "व्यापार करने में आसानी" के नाम पर अपनी गलत नीतियों को जारी रखा, जिसके फलस्वरूप व्यापक दरिद्रता की स्थिति और गंभीर हुई और संकट और गहरा गया। इस प्रक्रिया में, कॉरपोरेट करों को कम करने के अलावा, सरकार ने विपक्षी दलों की अनुपस्थिति में संसद में तीन श्रम-विरोधी संहिताओं को नितांत अलोकतांत्रिक तरीके से पारित कर लिया । इन श्रम संहिताओं की रचना यूनियनों का गठन मुश्किल बना कर और उनका हड़ताल का अधिकार छीन कर स्ट्रीट वेंडर, घरेलू कामगार, मध्याह्न भोजन कर्मचारी, बीड़ी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, रिक्शा-चालकों और अन्य दैनिक वेतन भोगी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बड़े वर्ग को इन कानूनों के दायरे से बाहर करके, श्रमिकों पर दासता की स्थितियों को थोंपने के उद्देश्य से की गई है। इसी तरह से सभी संसदीय और संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए, बगैर कानूनी रूप से कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दिए, सरकार ने तीन कृषि बिलों को पारित किया है और आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रतिबंधात्मक परिवर्तन किया है। इस के द्वारा सरकार ने कॉर्पोरेट और अनुबंध खेती, बड़े खाद्य प्रसंस्करण और विदेशी और घरेलू खुदरा एकाधिकार को बढ़ावा दिया है और देश की खाद्य सुरक्षा को भी खतरे में डाला है । इतना ही नहीं, बिजली (संशोधन) विधेयक, 2020 पर 12 मुख्यमंत्रियों के विरोध को अनदेखा करते हुए और संसद में प्रस्तुत कर बिल को विधिवत लागू किए बिना, बिजली वितरण नेटवर्क का निजीकरण शुरू कर दिया है और मौजूदा कर्मचारियों को नए मालिकों की दया पर छोड़ दिया है। इससे पहले, सरकार ने बड़े एनपीए खातों की वसूली हेतु कोई प्रयास किये बगैर ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय कर आम जमाकर्ताओं के धन को खतरे में डाला । जीएसटी के दोषपूर्ण सूत्रीकरण और नीति ने और सुस्त होती अर्थव्यवस्था ने सरकार के वित्त को मुश्किल में डाल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों की वित्तीय स्थिति संकट में आ गई है । भारतीय रिज़र्व बैंक, जीवन बीमा निगम और सार्वजानिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों का उपयोग एटीएम के रूप में किया जा रहा है; रेलवे मार्ग, रेलवे स्टेशन, रेलवे उत्पादन इकाइयाँ, हवाई अड्डे, पोर्ट और डॉक्स, लाभकारी सरकारी विभाग , कोयला खदानें, नकदी समृद्ध सार्वजनिक उपक्रमों जैसे बीपीसीएल, 41 आयुध (Defense) कारखानों, बीएसएनएल (उसके 86,000 कर्मचारियों को देशद्रोहियों करार देकर ), एयर इंडिया, सड़क परिवहन जैसे सार्वजानिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण का उन्मादी खेल नीलामी और 100% एफडीआई के माध्यम से खेला जा रहा है। एक ऐसे समय में जब देश कोविद -19 महामारी से त्रस्त है, इन सभी विनाशकारी उपायों को तेज़ी से अमल में लाया जा रहा है। यहां तक कि "फ्रंटलाइन वॉरियर्स" - डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वच्छता कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, जिनको अपना स्वयं का जीवन जोखिम में डाल कर सर्वेक्षण करने के लिए मजबूर किया जा रहा है , उनको वादा किया गया मौद्रिक और बीमा लाभ न देकर उनके साथ घिनौना व्यवहार किया गया है, जबकि चिन्हित भ्रष्ट पूंजीपति महामारी में भी रोजाना करोड़ों रुपये के बाजार पूंजीकरण के लिए सुर्खियों में हैं!

अनियोजित लॉकडाउन ने करोड़ों प्रवासी कामगारों के लिए अनकही पीड़ाएं पैदा कीं, जिनकी तुलना में नोटबंदी की कहानियाँ भी फीकी पड़ गईं । यह समय महिलाओं के लिए अधिक कठिन रहा है, जिन्होंने कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थानों, साथ ही साथ घर पर उत्पीड़न भोगा । देश की अर्थव्यवस्था एक ठहराव पर आ गई, बेरोजगारी, विशेष रूप से महिलाओं की, सभी समय के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है जबकि जीडीपी सर्वकालिक न्यूनतम स्तर पर है। सरकार श्रमिकों की छंटनी नहीं करने या लॉकडाउन अवधि के लिए मजदूरी में कटौती नहीं करने जैसे, लॉकडाउन की शुरुआत में नियोक्ताओं के लिए जारी किए गए, अपने स्वयं के परामर्श के बारे में कभी भी गंभीर नहीं रही । इन परामर्शों को उच्चतम न्यायालय में नियोक्ताओं द्वारा चुनौती दिए जाने पर सरकार ने उन्हें वापस ले लिया। लेकिन एक अपारदर्शी पीएमकेअर्स फंड बनाया गया , जिसमें कॉरपोरेट्स ने योगदान देना शुरू किया और जिसमें योगदान देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को मज़बूर किया गया। उनका महंगाई भत्ता फ्रीज़ कर दिया गया । एक पुराना डीओ पुनर्जीवित किया गया जो सरकार को एक कर्मचारी को समय से पहले रिटायर करने की सुविधा देता है। केंद्र सरकार ने महामारी की स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी पूर्णतः राज्य सरकारों पर डाल दी है। धन शक्ति के माध्यम से, चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराया जा रहा है ; सीबीआई, ईडी, एनआईए, पुलिस जैसी राज्य एजेंसियों के माध्यम से राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का उपयोग कर , हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को तार-तार करने के लिए सीएए का विरोध करने वाले बुद्धिजीविओं को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगों की साजिश रचने और उकसाने के लिए आरोपित करने का विभाजनकारी कुटप्रबंधन किया जा रहा है। जबकि दिल्ली के भाजपा नेताओं द्वारा अभद्र भाषणों के लिए तक एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तबाही चिंताजनक है। इस दर्दनाक स्थिति में, नई शिक्षा नीति पेश की गई है, जो शिक्षा का थोक निजीकरण है, जो गरीब लोगों के साथ भेदभाव करेगी। संक्षेप में, संविधान को अशुद्धता के साथ दरकिनार कर दिया गया है।

**स्थिति गंभीर है।**

ट्रेड यूनियनों का यह संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार के मज़दूर विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी इन क़दमों की निंदा करता है।

यह कन्वेंशन नोट करता है कि श्रमिकों और मेहनतकशों के विभिन्न वर्ग, कड़े संघर्षों से हासिल अपने अधिकारों और सुविधाओं तथा अपने जीवन और जीवन की परिस्थितियों पर हो रहे इन हमलों के विरुद्ध, दृढ़तापपूर्वक लड़ रहे हैं। कोयला मजदूरों की तीन दिन की हड़ताल, आयुध कारखानों के मजदूरों की हड़ताल, रेलवे की उत्पादन इकाइयों के मजदूरों का प्रदर्शन, बीपीसीएल के मजदूरों की दो दिवसीय हड़ताल, आरटीसी मजदूरों, तेल श्रमिकों, इस्पात श्रमिकों, बंदरगाह कर्मचारियों, सीमेंट श्रमिकों, योजना श्रमिकों का प्रदर्शन और संघर्ष और कई अन्य क्षेत्रों के कर्मचारी, यूपी में बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के आंदोलन, जिन्होंने निजीकरण के खिलाफ और अपनी अन्य मांगों पर हड़ताल सहित बड़े संघर्ष शुरू किए हैं। देश की सुरक्षा की रक्षा में 12 अक्टूबर 2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए आयुध(Defense)कारखानों के श्रमिकों के गंभीर निर्णय के साथ कन्वेंशन मजबूती से खड़ा है। कन्वेंशन इस हड़ताल के समर्थन में देश के सभी श्रमिकों से 12 अक्टूबर, 2020 को और उसके बाद हड़ताल के सम्मानपूर्वक समाधान तक , हर सप्ताह , सभी कार्यस्थलों में हड़ताल के समर्थन में उग्र प्रदर्शन करने का आह्वान करता है।

यह सम्मेलन उन किसानों के प्रति पूर्ण एकजुटता प्रदर्शित करता है, जो उन किसान विरोधी कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जो मतदान की अनुमति के बिना संसद में पारित किए गए हैं। यह सम्मेलन घोषणा करता है कि संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही देश के किसी भी हिस्से में किसी भी रूप में जारी उनके संघर्ष के लिए एकजुटता का समर्थन और अभिव्यक्ति जारी रखेगा। मजदूर किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं।

लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन के कारण होने वाली भारी कठिनाइयों के बावजूद, संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच द्वारा आवाहन किये गए सभी विरोध कार्यक्रमों में श्रमिकों की भारी भागीदारी की सराहना करते हुए, यह सम्मेलन संघर्ष को और तेज करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। केंद्र में मोदी सरकार को श्रमिकों, किसानों और देश के सभी मेहनतकशों और आम लोगों के हितों का त्याग कॉर्पोरेट के फायदे हेतु करने का कोई पछतावा नहीं है।

न केवल पूरे ट्रेड यूनियन आंदोलन, बल्कि प्रख्यात अर्थशास्त्रियों द्वारा निरंतर मांग के बावजूद भाजपा सरकार लोगों के हाथों में नकद हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए तैयार नहीं , जो न केवल उनको कुछ राहत प्रदान करेगा बल्कि देश की गिरती अर्थव्यवस्था को भी पुनर्जीवित करेगा। हमारे गोदामों में अकूत खाद्यान्न होने के बावजूद भाजपा सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन देने के लिए तैयार नहीं है।

यह सम्मेलन इस बात को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करता है कि इस स्थिति में पूरे श्रमिक वर्ग द्वारा अवज्ञा और असहयोग के रूप में एकजुट संघर्ष लाज़मी है। यह सम्मलेन कामकाजी लोगों, श्रमिकों, किसानों और कृषि श्रमिकों के सभी वर्गों की एकजुटता का आह्वान करता है।

यह सम्मलेन हमारे देश के सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग को निम्नलिखित मांगों पर देश व्यापी आम हड़ताल की तैयारी करने का आह्वान करता है:

1. सभी गैर आयकर दाता परिवारों के लिए प्रति माह 7500 रुपये का नकद हस्तांतरण;
2. सभी जरूरतमंदों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो मुफ्त राशन;
3. ग्रामीण क्षेत्रों में एक साल में 200 दिनों का काम, बढ़ी हुई मज़दूरी पर उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा का विस्तार; शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी का विस्तार;
4. सभी किसान विरोधी कानूनों और मजदूर विरोधी श्रम संहिता को वापस लेना;
5. वित्तीय क्षेत्र सहित सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण को रोकें और रेलवे, आयुध कारखानों , बंदरगाह आदि जैसे सरकारी विनिर्माण उपक्रम और सेवा संस्थाओं का निगमीकरण बंद करें;
6. सरकार और पीएसयू कर्मचारियों की समय से पहले सेवानिवृत्ति पर ड्रैकियन सर्कुलर को वापस लेना;
7. सभी को पेंशन प्रदान करें, एनपीएस को ख़त्म करें और पहले की पेंशन को बहाल करें, ईपीएस -95 में सुधार करें।

यह सम्मेलन मजदूर वर्ग का आह्वान करता है- अक्टूबर 2020 के अंत से पहले, संयुक्त राज्य / जिला / उद्योग / क्षेत्रीय स्तर के सम्मेलनों को , जहाँ कहीं भी संभव हो भौतिक रूप में , अन्यथा ऑनलाइन, आयोजित करने के लिए ; नवंबर के मध्य तक श्रमिकों पर श्रम कोड के प्रतिकूल प्रभाव पर ग्रास-रुट स्तर तक एक व्यापक अभियान का संचालन करने के लिए और **26 नवंबर, 2020 को एक दिन की देशव्यापी आम हड़ताल के लिए। संज्ञान रहे कि यह एक दिवसीय हड़ताल आने वाले समय में अधिक गहन, अधिक दृढ़ और लंबे संघर्षों की तैयारी है ।**

**कन्वेंशन सभी कामगारों , यूनियनाइज़्ड या अन्यथा, संबद्ध या स्वतंत्र, चाहे संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र से हो, यह आवाहन करता है कि जनविरोधी, मज़दूर-विरोधी, किसान-विरोधी और देश-विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट संघर्ष को तेज करने के लिए 26 नवंबर, 2020 को देशव्यापी आम हड़ताल को पूर्णतः सफल बनाएं।**

   

 इंटक एटक एचएमएस सीटू एआईयूटीयूसी

  

 टीयूसीसी सेवा एआईसीसीटीयू एलपीऍफ़ यूटीयूसी

**एवं स्वतंत्र फेडरेशंस / असोसिएशन्स**